अध्याय 1 प्रस्तावना

1.1 भारत में पेट्रोलियम परिदृश्य

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देश में सभी प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में तेल और प्राकृतिक गैस की खपत कोयले के बाद सबसे अधिक है। भारत मे ऊर्जा की खपत बढ़ती हुई प्रवृत्ति सहित 1970-71 में 1,203 किलो वाट घंटा (केडब्ल्यूएच) से 2010-11 में 4,816 केडब्ल्यूएच (संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर-सीएजीआर: 3:44 प्रतिशत) तक पहुंच गई जिसमें कोयले और प्राकृतिक गैस की खपत में उच्चतर वृद्धि (सीएजीआर 1970-71 से 2010-11: तेल 6.07 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस 11.25 प्रतिशत) थी। सामान्यत: अधिक खपत किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात हाई-स्पीड डीजल[1] (एचएसडी, सामान्यत: डीजल कहा जाता है), द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी, घरेलू); और बेहतर मिट्टी का तेल (पीडीएस-एसकेओ, सामान्यत: मिट्टी का तेल कहा जाता है) की कीमतें नियंत्रित की जाती है और यें तीनों उत्पाद नियंत्रित उत्पादों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। दूसरे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों, मोटर स्पिरिट[2] (एसएस, सामान्यत: पेट्रोल कहा जाता है), एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ), एलपीजी-वाणिज्यिक,एसकेओ (पीडीएस के अलावा), फर्नेस तेल (एफओ), नेप्था, लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस) आदि की कीमतें नियंत्रित नहीं की जाती है और इन्हें सामान्यत: गैर-नियंत्रित उत्पादों के रूप में संदर्भित किया गया है।

1.1.1 पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और आपूर्ति

खपत

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 2007-08 के दौरान 1,28,946 हजार मीट्रिक टन (टीएमटीज़) थीं। इसमें 2011-12 के दौरान 1,48,132 टीएमटीज तक प्रगामी रूप से वृद्धि हुई। नियंत्रित और गैर-नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के

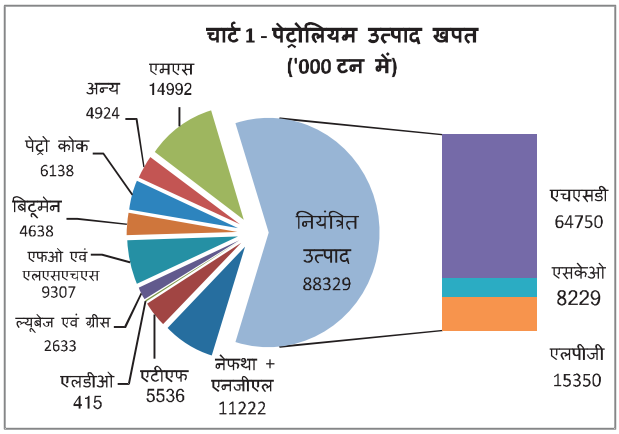

[1] *डीजल: एचएसडी की कीमत जनवरी 2013 से थोक उपभोक्ताओं के लिए विनियंत्रित थीं।*

[2] *पेट्रोल की कीमत 25 जून 2010 से विनियंत्रित थी।*

वर्षवार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए है। 2011-12 के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादो की खपत को चार्ट 1 में दर्शाया गया है। नियंत्रित उत्पादों अर्थात एचएसडी (जनवरी 2013) में आंशिक रूप से विनियंत्रित), घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी या सार्वजनिक संवितरण प्रणाली (पीडीएस एसकेओ)के माध्यम से आपूरित घरेलू एलपीजी एवं एसकेओ पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का 60 प्रतिशत बनता है। 2011-12 के दौरान एमएस की खपत (जिसे 25 जून 2010 से विनियंत्रित कर दिया गया है) 10 प्रतिशत थी। दूसरे गैर-नियंत्रित उत्पाद कुल खपत के का शेष 30 प्रतिशत बनता है।

देश मे विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मुख्य उपयोगकर्ताओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।:

तालिका 1

भारत में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोगकर्ता

प्रमुख उत्पाद	उपयोगकर्ता
एचएसडी	सार्वजनिक परिवहन, कार उपभोक्ता, कृषक, जेनसेट उपभोक्ता, उद्योग
एलपीजी	घरेलू उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता
एसकेओ	घरेलू उपभोक्ता, जेनसेट उपभोक्ता, उद्योग
नेप्था	उद्योग (उर्वरक एवं अन्य)
एमएस	कार उपभोक्ता
एटीएफ	एयर लाईन्स
एलडीओ (लाइट डीजल तेल)	उद्योग (ईधंन के रूप में)
ल्यूबेज	कार उपभोक्ता, सार्वजनिक परिवहन, किसान
एफओ	उद्योग, वाणिज्यिक उपभोक्ता (ईंधन के रूप में)
एलएसएचएस	उद्योग (ईंधन के रूप में)
बिटूमन	सार्वजनिक कार्य, उद्योग

स्रोत : पेट्रोलियम एवं रसायनों पर स्थायी समिति (2001)

कुछ क्षेत्रों में एचएसडी इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है और थोक कीमत सुचकांक (डब्ल्यूपीआई) में इसकी भारिता 4.67 प्रतिशत है, जो 670 पण्यों में सबसे अधिक है। एचएसडी कीमत में प्रत्येक रूपए की वृद्धि के लिए डब्ल्यूपीआई की अनुमानित वृद्धि 0.11 प्रतिशत तक है। एसकेओ एवं एमएस कीमतों पर एक रूपए की वृद्धि का डब्ल्यूपीआई पर प्रभाव क्रमश: 0.05 प्रतिशत और 0.02 प्रतिशत होगा जबकि घरेलू एलपीजी की ₹ 10/सिलेंडर की वृद्धि डब्ल्यूपीआई को 0.02 प्रतिशत[3] तक प्रभावित करेगी। इस प्रकार, नियंत्रित उत्पादों की कीमतों का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

---

[3] ***स्रोत: पीपीएसी, एमओपीएनजी जनवरी 2013 के सहायकों के लिए टिप्पणियां***

आपूर्ति

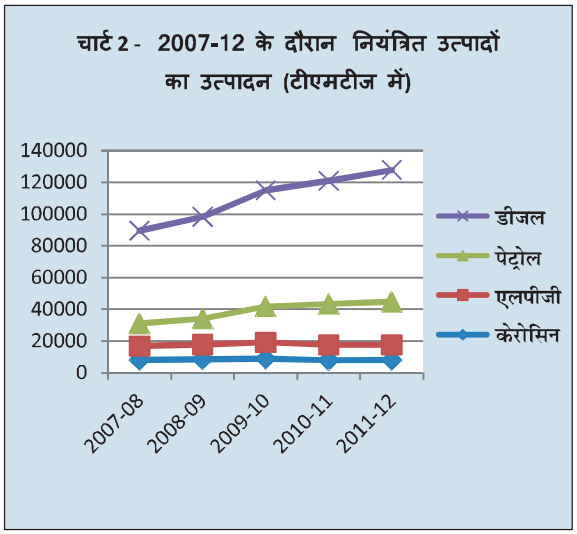

मांग को देशज उत्पाद एवं आयातों द्वारा पूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाता है। 2007-12 के दौरान पेट्रोलियाम उत्पादों के उत्पादन एवं आयात/निर्यात के ब्यौरें को **अनुबंध-II और III** में दिया गया है।

एसकेओ, लाइट डीजल तेल (एलडीओ) और एलएसएचएस को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन ने 2007-12 के दौरान बढ़ती हुई प्रवृति दर्शाई थी। तथापि, एलपीजी और एसकेओ का उत्पादन उपरोक्त अवधि के दौरान घरेलू मांग से कम रहा और इसलिए इसे आयात करना पड़ा था। यद्यपि एमएस और एचएसडी का घरेलू उत्पादन मांग से अधिक था फिर भी ओएमसीज़ को गुणवता मानकों को पूरा करने के लिए इन उत्पादों की आवश्यकता के 2.14 प्रतिशत का आयात करना पड़ा था। 2007-08 से 2011-12 के दौरान नियंत्रित उत्पादों अर्थात एचएसडी, एमएस, एसकेओ और एलपीजी के उत्पादन को चार्ट 2 में दर्शाया गया है।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात ने 2007-08 में 22,462 टीएमटी से 2011-12 में 14,997 टीएमटी तक की गिरावट की प्रवृति दर्शाई। नियंत्रित उत्पादों अर्थात एचएसडी, एमएस, एलपीजी और एसकेओ की आपूर्ति की स्थिति को स्व: उत्पादन के माध्यम से पूरा किया गया था और 2007-08 से 2011-12 के दौरान आयात को नीचे चार्ट 3 से 6 में दिया गया है:

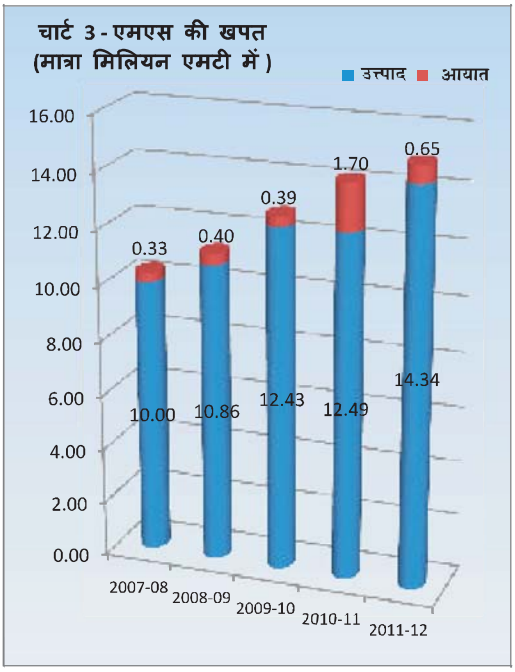

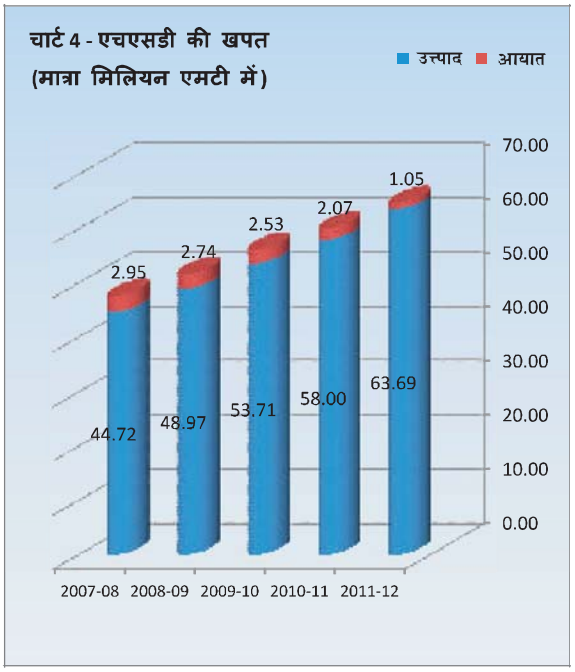

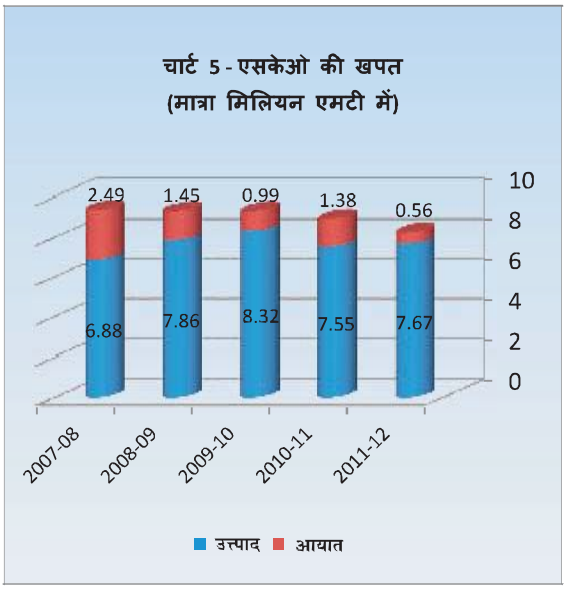

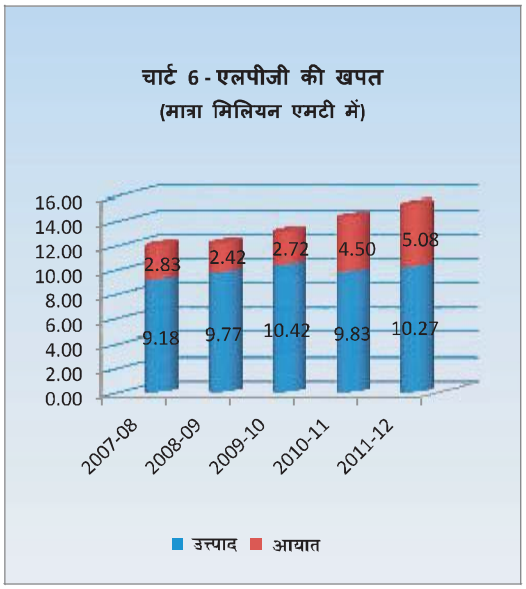

सरकार ने कच्चे तेल के आयात की अनुमति नहीं दी। तथापि, भारतीय रिफाइनरियों की कच्चे तेल की शोधन क्षमता घरेलू मांग से अधिक है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र देशों द्वारा किए गए पेट्रोलियम उत्पादों के कुल निर्यातों में से, अकेले भारत द्वारा इन उत्पादों का निर्यात 13(2008) और 21 प्रतिशत (2012) के मध्य था।

1.2 भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का शोधन

1.2.1 शोधन प्रक्रिया

कच्चे तेल को शोधित पेट्रोलियम उत्पादों की श्रेणी के उत्पादन के लिए आंशिक आसवन की प्रक्रिया द्वारा शोधित किया जाता है। शोधन प्रक्रिया में चार मूल चरण अर्थात आसवन, क्रैकिंग, उपचार एवं सुधार शामिल है।

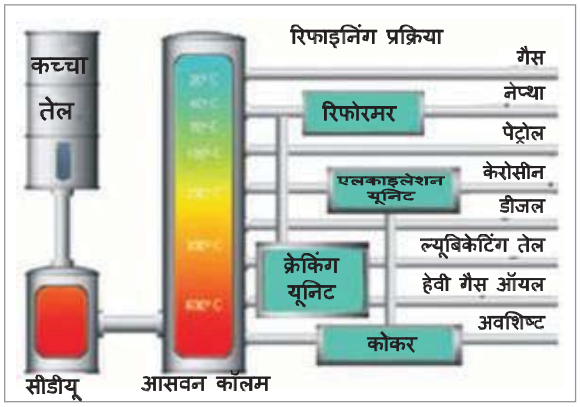

आसवन *: आसवन अधिक वाष्पीय घटकों को हटाने के लिए पर्यावरणीय दबाव पर आसवन टावरों में (सीडीयू-कच्चा तेल आसवन यूनिट) कच्चे तेल के शोधन का पहला चरण है। प्रक्रिया के दौरान प्रोपेन एवं बूटेन जैसे हल्के पदार्थ (हल्के आसवनों के रूप में भी जाने जाते हैं) वाष्प बनकर और ऊपर उठकर कॉलम के शीर्ष पर आ जाते हैं। मध्यम भार के पदार्थ अर्थात गैसोलीन, जेट और एचएसडी ईंधन सहित मध्यम आसव, बीच में संघनित हो जाते है। कमस्तरीय तेल नामक भारी पदार्थ (भारी तलछट्ट) वायुमण्डलीय कॉलम के निचले हिस्से में संघनित हो जाते हैं।*

क्रैकिंग : *एक प्रक्रिया जो भारी (उच्चतर क्वथनांक) पेट्रोलियम अंशों को गैसोलीन, ईंधन तेल और गैस तेलों जैसे अधिक मूल्यवान उत्पादों में तोड़ती या खंडित करती है और अवशेषों की मात्रा को कम करती है।*

सुधार : *यह ज्वलनशील पदार्थ को उच्च ओक्टेन पेट्रोल एवं पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक में उन्नयन हेतु रसायन क्रिया करने के लिए ताप, दबाव और उत्प्रेरक (सामान्यत: प्लेटिनम वाला) का उपयोग करता है।*

हाइड्रो उपचार *: यह अर्धनिर्मित या अन्तिम उत्पादों से संदूषकों/अशुद्धताओं को हटाने का माध्यम है।*

1.2.2 देश में शोधन क्षमता

31 मार्च 2012 तक देश में 215.66 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की संयुक्त शोधन क्षमता वाली 22 रिफाईनरियां हैं। रिफाईनरियों की प्रतिष्ठापित क्षमताओं के ब्यौरों को **चार्ट 7** में दिया गया है।

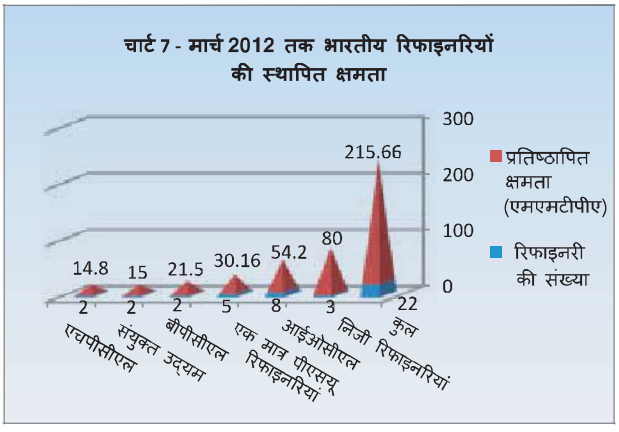

इनमे से 135 एमएमटीपीए की संयुक्त क्षमता के वाली 19 रिफाइनरियां सार्वजनिक क्षेत्र में है (संयुक्त उद्यमों-जेवीज़ सहित) जबकि 80 एमएमटीपीए की संयुक्त क्षमता के साथ 3 निजी क्षेत्र में (रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड-2 एवं एस्सार ऑयल-1)।

1.2.3 कच्चे तेल के स्रोत

देश कच्चे तेल के उत्पादन में स्वयं सक्षम नहीं है और मुख्यत: आयात पर निर्भर करता है। कच्चे तेल का आयात 2007-08 में 1,21,672 टीएमटीज से 2011-12 के दौरान 1,71,729 टीएमटीज़ तक बढ़ गया था जबकि कच्चे तेल के देशज उत्पादन मे 2007-08 में 34,130 टीएमटीज़ से 2011-12 में 38,080 टीएमटीज तक केवल सीमांत रूप से वृद्धि हुई। 2011-12 में आयातित और देशज कच्चे तेल का अनुपात 4.50:1 था। जैसाकि **चार्ट 8** में देखा जा सकता है, तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा आयातित कच्चे तेल के स्रोत में वर्षों से वृद्धि हो रही हैं।

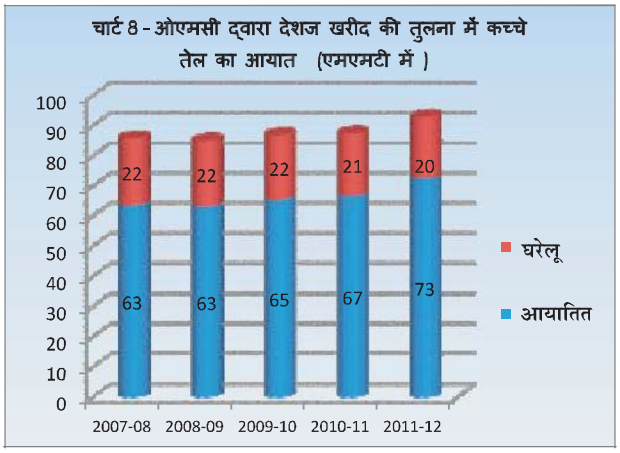

1.3 पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन

1.3.1 विपणन कार्यकलाप

विपणन कार्यकलापों मे भंडारण टर्मिनलों/डिपुओं तक पाइपलाइनों/रेल/पोत/सड़क के माध्यम से रिफाइनरी या पत्तन से उत्पादों के संचालन और खुदरा बिक्री केंद्र/ सीधे उपभोक्ताओं तक संवितरण शामिल है। जबकि एलपीज को अलग भंडारण यूनिट और बोटलिंग संयत्र की आवश्यकता होती है जहां उत्पाद को सिलेंडरों मे भरा जाता है, ओएमसीज 'स्वयं के'/ भाड़े के टैंक ट्रकों के माध्यम से एमएस एवं एचएसडी को खुदरा बिक्री केंद्रो तक डिलवर करती हैं। पीडीएस केरोसीन के संबंध में ओएमसीज उत्पाद को भंडारण टर्मिनलों/डिपुओं पर उपलब्ध कराती है जहां से राज्य सरकारों (नागर आपूर्ति विभाग) पीडीएस केरोसीन सुपुर्दगी केंद्रो तक इसे पहुंचने की व्यवस्था करती हैं।

ओएमसीज के विपणन कार्यकलाओं को **चार्ट 9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 9 - ओएमसीज द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन

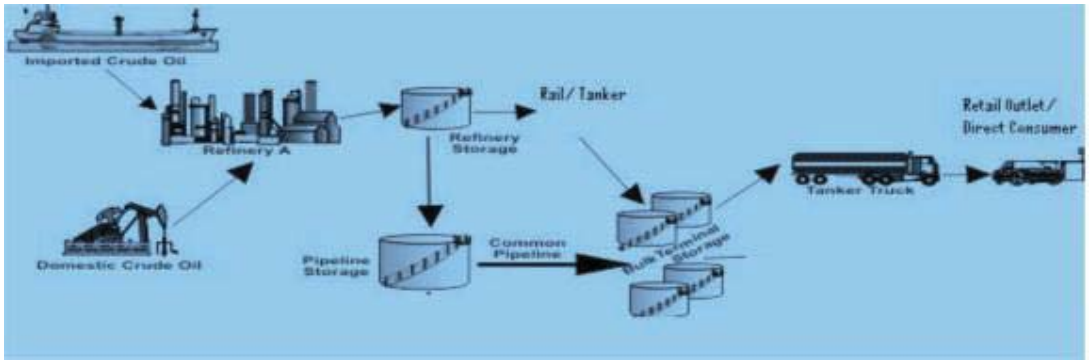

1.3.2 तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसीज़)

नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में तीन प्रमुख ओएमसीज हैं, अर्थात ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)। सार्वजनिक क्षेत्र में रिफाइनरियां ओएमसीज़ को पहले नियंत्रित उत्पादों की आपूर्ति करती हैं और फिर शेष मात्रा का निर्यात करती है। ओएमसीज़ निजी रिफाइनरियों से भी नियंत्रित उत्पादों को खरीदती है और मांग को पूरा करने के लिए शेष का आयात करती हैं। निजी कम्पनियां, अर्थात रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), एस्सार ऑयल लिमिटेड और शैल इंडिया के पास एमएस और एचएसडी के संवितरण के लिए खुदरा बिक्री केंद्र भी है। तथापि, उत्तरवर्ती 1 अप्रैल 2012 तक ओएमसीज़ द्वारा प्रचालित 42138 खुदरा बिक्री केंद्रो के प्रति केवल 2966 बिक्री केंद्रों (7 प्रतिशत) के लिए जवाबदेह है। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान ओएमसीज़ द्वारा नियंत्रित उत्पादों अर्थात एचएसडी, एमएस, घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरोसीन की वर्षवार बिक्री के ब्यौरें **चार्ट 10** में दिए गए है।

चार्ट 10 - ओएमसीज द्वारा नियंत्रित उत्पादों की बिक्री

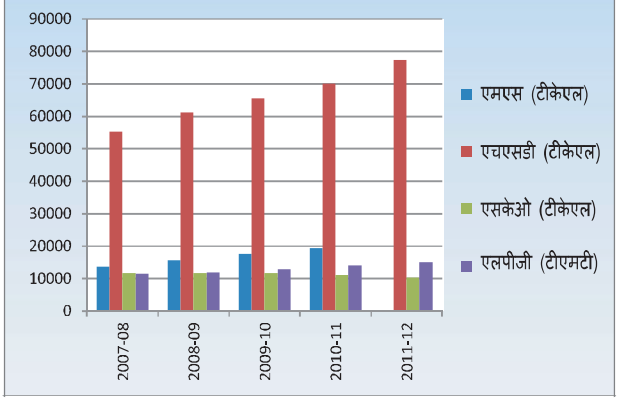

1.3.3 नियंत्रित उत्पादों की मूल्य ढांचा में आवश्यक तत्व

इसके विपरीत तेल पीएसयूज़ अर्थात ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) अपने परिचालनों के माध्यम से कच्चे

तेल का उत्पादन करते है जिसे पेट्रोलियम उत्पादो में संसाधन के लिए पीएसयू रिफाइनरियों को बेचा जाता है। तथापि कच्चे तेल की मुख्य: आवश्यकता को पीएसयू रिफाइनरियों द्वारा आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। कच्चे माल 'कच्चे तेल' को रिफाइनरियों में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों में संसाधित किया जाता हैं। यह पाया गया कि कच्चे तेल की लागत उत्पाद लागत के 90 प्रतिशत से अधिक बनती है। उत्पादन प्रक्रिया की सन्निहित प्रवृति और जटिलता के कारण रिफाइनरियों ने तर्क दिया कि एक विशेष उत्पाद को एक विशेष प्रक्रिया से आवश्यक रूप से पहचाना नहीं जा सकता। प्रत्येक उत्पाद के उत्पादन की लागत तक पहुँचने के लिए संयुक्त लागत को रिफाइनरियों मे उनकी बिक्री उगाहियों (उत्पादित मात्रा x यूनिट बिक्री कीमत) के आधार पर सभी उत्पादों को संविभाजित किया जाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत निर्धारण हेतु अनुपालन की जा रही प्रणाली में कुछ आवश्यक घटक या विशेषताए हैं, जोकि निम्नानुसार है :

- **आयात समता कीमत (आईपीपी)** : यह उस कीमत का प्रतिनिधित्व करती है जो संबंधित भारतीय पत्तनों पर एचएसडी, एमएस, और एसकेओ के वास्तविक आयात के मामले मे आयातकर्ता भुगतान करेगा और इसमे एफओबी (पोत पर्यन्त नि:शुल्क) कीमत के तत्व, समुद्री माल भाड़ा,बीमा, सीमा शुल्क, एवं पत्तन देय आदि शामिल हैं।

- **निर्यात समता कीमत (ईपीपी):** यह उस कीमत का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी तेल कम्पनियां पेट्रोलियम उत्पादों, अर्थात एफओबी कीमत+अग्रिम लाईसेंस लाभ के निर्यातों पर उगाही करेगीं।

- **व्यापार समता कीमत (टीपीपी):** टीपीपी में आईपीपी का 80 प्रतिशत और ईपीपी का 20 प्रतिशत शामिल हैं।

- **रिफाइनरी गेट कीमत**: ओएमसीज की रिफाइनरियों, एक मात्र पीएसयूज़(वें रिफाइनरियां जिनके पास विपणन बिक्री केंद्र नहीं हैं जैसे सीपीसीएल, एमआरपीएल आदि) और निजी रिफाइनरियों को ओएमसीज़ द्वारा क्रमश: एमएस और एचएसडी/घरेलू एलपीजी एवं पीडीएस केरोसीन की खरीद के लिए टीपीपी/आईपीपी को भुगतान किया जाता है और जिसे सामान्यत: रिफाइनरी गेट कीमत (आरटीपी) के रूप में जाना जाता है।

- **विपणन प्रभार:** विपणन प्रभारों में विपणन लागत, विपणन मार्जिन राशि, अंतर्देशीय भाड़ा, सुपुर्दगी प्रभार आदि शामिल हैं।

- **वांछित बिक्री कीमत (डीएसपी) :** इसमें आरजीपी का भारित औसत, मालभाड़ा, टर्मिनलिंग प्रभार, विपणन लागत, विपणन मार्जिन राशि, कार्यचालन पूंजी पर रिटर्न और निवेश पर रिटर्न सहित खुदरा पम्प बिक्री केंद्र प्रभार शामिल हैं।

- **डिपो कीमत :** पूर्व भंडारण केंद्र कीमत के रूप मे भी जाने जानी वाली डिपो कीमत को भारत सरकार द्वारा नियंत्रित उत्पादों के लिए नियत किया जाता है, जोकि डीएसपी से कम हैं।

- **कम-वसूली :** नियंत्रित उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा यथानियत डिपु कीमत और मूल्य ढांचा अनुसार डीएसपी के बीच अंतर है (करों एवं डीलर के कमीशन को छोड़कर)।

- **कर :** करों में केंद्र सरकार द्वारा उत्पादों पर उद्ग्रहीत उत्पाद शुल्क, राज्य द्वारा उद्ग्रहीत अर्थात मूल्य वर्धित कर/बिक्रीकर, प्रवेश कर और अधिक प्रभार एवं स्थानीय निकायों की चूंगी शामिल है। वर्तमान रूप से, ये सभी कर और स्थानीय निकायों की चुंगी उत्पादों की खुदरा बिक्री कीमत का भाग बनती हैं।

- **डीलर का कमीशन** : यह उत्पादों पर भारत सरकार द्वारा अवधारित दर हैं और जिसे ग्राहकों द्वारा अदा किया जाता है।

- **खुदरा बिक्री कीमत (आरएसपी):** उत्पाद शुल्क, वेट और डीलर के कमीशन सहित भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के रूप में वह कीमत जिस पर ओएमसीज़ नियंत्रित उत्पादों को बेचती हैं।

1.4 पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण तंत्र का विकास

वर्तमान रूप से पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात एचएसडी, पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी का मूल्य निर्धारण भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रिफाइनरी गेट पर एचएसडी की कीमत व्यापार समता कीमत (टीपीपी) पर नियंत्रित की जा रही है जबकि पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी का मूल्य निर्धारण आयात समता कीमत (आईपीपी) स्तर पर किया जाता है। इन तीन उत्पादों के लिए उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली आरएसपी भी भारत सरकार द्वारा नियत की जाती है। एमएस की कीमत 25 जून 2010 से रिफाइनरी और खुदरा स्तर दोनों पर बाजार द्वारा अवधारित है।

भारत सरकार ने 1948 से तेल कीमतों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए मुख्य कारण विश्व बाजार में पेट्रोलियम कीमतों की वाष्पशीलता से घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाना है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने में भारत सरकार के निर्णयों के कालक्रम को नीचे दिया गया है:

1.4.1 मूल्य निर्धारण निर्णय (1948-1977)

इस अवधि के दौरान सभी पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रणाधीन रखा गया था।

- **1948-** बर्मा शैल के साथ सहमति से मूल्य स्टॉक लेखा प्रक्रिया के माध्यम से तेल कीमतों पर नियंत्रण किया गया
- **1961-1969**-दामले समिति (1961), तालुकदार समिति (1965) और शान्तिलाल शाह समिति (1969) की सिफारिशों के आधार पर आयात समता कीमत (आईपीपी) को अपनाया गया।
- **1974-** तेल कीमत समिति (ओपीसी) की सिफारिशों के आधार पर प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र(एपीएम) के रूप में सामान्यत: जानी जाने वाली 'कोस्ट पल्स बेसिज' के रूप में परिवर्तित।
- **1984-**निवल कीमत पर 12 प्रतिशत पश्च कर रिटर्न में लगाई गई पूंजी पर समान दर से परिवर्तित ओएमसीज के लिए मुआवजा और तेल लागत समीक्षा समिति (1984) की सिफारिशों के आधार पर उधारियों की भारित औसत लागत
- **1997**- जनवरी 1995 और जून 1996 में स्थापित क्रमश: तेल उद्योग की पुन संरचना (आर-ग्रुप) और विशेषज्ञ तकनीकी ग्रुप पर नीतिगत योजना ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से एपीएम को विघटित करने का निर्णय लिया गया।

1.4.2 मूल्य निर्धारण निर्णय (1997-आज तक)

1997-2006 तेल उद्योगों की पुनर्संरचना (आर ग्रुप) पर नीतिगत योजना ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1997 से 2002 तक चरणबद्ध तरीके से पेट्रोलियम उत्पादों के एपीएम को विघटित किया क्योंकि आर ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार मूल्य निर्धारण का एपीएम मॉडल प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेशों के लिए अपेक्षित पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का सृजन नहीं कर सका और लागत को न्यूनतम करने के लिए सुदृढ़ प्रेरक उपलब्ध नही कराए जा सके क्योंकि लागत प्लस फॉरमुला अक्षमताओं को बढ़ावा देता है। पहले उपाय के रूप में भारत सरकार ने उत्पादों अर्थात अप्रैल 1998 में ईंधन तेल, एलएसएचएस एवं नेप्था और अप्रैल 2001 में एविएशन टर्बाईन फ्यूल को विनियंत्रित किया था, अर्थात ओएमसीज़ को बाजार की परिस्थितियों के आधार पर इन उत्पादों की कीमतों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। अप्रैल 2002 से

एमएस और एचएसडी की कीमतें भी बाजार द्वारा अवधारित कर दी गई थी। तथापि, एचएसडी और एमएस कीमतों का विनियंत्रण केवल दो वर्षों की लघु अवधि के लिए किया गया था। भारत सरकार ने 2004 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के मद्देनजर इन दो उत्पादों की खुदरा कीमत पर नियंत्रण को दोबारा शुरू कर दिया था। अप्रैल 2002 से सभी पेट्रोलियम उत्पादों की आरजीपी की गणना आयात समता कीमत (आईपीपी[4]) के आधार पर की गई थी। यह जून 2006 तक जारी रही।

2006-2010: तत्पश्चात, डॉ रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति (फरवरी 2006) ने एमएस ओर एचएसडी के लिए आईपीपी के स्थान पर व्यापार समता कीमत (टीपीपी[5]) को आरजीपी के रूप में लागू करने की सिफारिश की थी। परिवर्तन के लिए तर्क यह था कि देश के एमएस और एचएसडी उत्पादन के 20 प्रतिशत का निर्यात किया जा रहा था। भारत सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और जून 2006 से कार्यान्वित कर दिया था। घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरिसीन का मूल्य निर्धारण आईपीपी के अन्तर्गत जारी रहा।

डॉ. रंगराजन समिति की सिफारिशें स्वीकृत की गई

- जून 2006 से रिफाइनरी गेट कीमतों के रूप में एमएस और एचएसडी के लिए व्यापार समता कीमत (80 प्रतिशत आयात समता कीमत और 20 प्रतिशत निर्यात समता कीमतका अपनाना
- मात्र बीपीएल परिवारों के लिए पीडीएस केरोसीन लेकिन लागू नहीं किया गया।

भारत सरकार ने सिफारिश के आधार पर जून 2006 से आवधिक रूप से एमएस और एचएसडी पर सीमा शुल्क को कम किया और मार्च 2008 से विशेष दरों पर (पहले यथा मूल्य दरों के स्थान पर) एमएस और एचएसडी पर उत्पाद शुल्क प्रभारित किया था। भारत सरकार ने आर्थिक सहायता युक्त पीडीएस केरोसीन की उपलब्धता केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों तक सिमित करने की सिफारिश को भी स्वीकार किया था, जिसे कार्यान्वित नहीं किया गया था।

---

[4] ***आईपीपी: यह उस कीमत का प्रतिनिधित्व करता है जिसका भुगतान आयातक संबंधित भारतीय पत्तनों पर एचएसडी, एमएस, एलपीजी और एसकेओ के वास्तविक आयात के मामले में किया जाएगा और इसमें एफओबी (पोत पर्यन्त नि:शुल्क) कीमत, समुद्री माल भाड़ा, बीमा, सीमा शुल्क एवं पत्तन देय आदि शामिल हैं।***

[5] ***टीपीपी: टीपीपी में आईपीपी का 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत निर्यात समता कीमत (ईपीपी) शामिल है***

2010-2012: डॉ किरिट एस पारीख की अध्यक्षता के अन्तर्गत विशेष दल ने एमएस और एचएसडी के लिए रिफाईनरी गेट और खुदरा स्तर दोनों पर बाजार द्वारा अवधारित कीमत को शुरू करने की सिफारिश की (अगस्त 2009)। भारत सरकार ने निर्णय लिया (जून 2010) कि एमएस और एचएसडी की कीमत रिफाइनरी गेट और खुदरा स्तर दोनों पर बाजार द्वारा अवधारित की जाएगी। तथापि, एचएसडी 17 जनवरी 2013 तक नियंत्रणाधीन रहीं।

किरिट पारीख समिति की स्वीकार की गई सिफारिशें

- एमएस की कीमत जून 2010 से बाजार द्वारा अवधारित की जाती है
- एचएसडी के लिए बाजार द्वारा अवधारित कीमत के लिए प्रमुख अनुमोदन

जनवरी 2013: भारत सरकार ने थोक उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए एचएसडी की कीमत को मुक्त कर दिया था (जनवरी 2013) और ओएमसीज़ ने इसके अधिष्ठापन से सीधे की गई थोक आपूर्तियों के लिए ₹ 9.25 प्रति लीटर तक की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। थोक उपभोक्ताओं को एचएसडी की बिक्री 2011-12 के दौरान 18 प्रतिशत की औसत बिक्री के प्रति अगस्त 2013 में कुल एचएसडी बिक्रियों के 10 प्रतिशत तक कम हुई है। भारत सरकार ने ओएमसीज़ को जनवरी 2013 से ₹ 0.45 प्रति लीटर तक खुदरा उपभोक्ताओं को एचएसडी की कीमत में बढ़ोतरी करने के भी निर्देश दिए; 2013-14 से प्रति उपभोक्ता 9 (नौ) आर्थिक सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की हकदारी नियत की, फिर भी फरवरी 2014 में प्रति उपभोक्ता 12 सिलेंडरों तक वृद्धि की गई थी।

डाउनस्ट्रीम सैक्टर और टेरिफ तथा मूल्य निर्धारण नीति के लिए सरकार का विजन

शोधन और विपणन के संबंध में भारत सरकार की दीर्घावधि नीति को हाइड्रोकार्बन विजन-2025 में दर्शाया गया है जो कतिपय दूरवर्ती क्षेत्रों , जिनकी समय-समय पर पहचान और समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, में कुछ उत्पादों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कीमतों को जारी रखते हुए उत्पादों के स्वतंत्र मूल्य निर्धारण की प्राप्ति पर विचार करता हैं।

हाईड्राकार्बन विजन ने उचित टेरिफ और मूल्य निर्धारण नीति को स्पष्ट किया जो हाइड्रोकार्बन सैक्टर की हित कर बढ़ोतरी और साथ ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित

करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मध्यमावधि में की जाने वाली निम्नलिखित कार्रवाई को निर्धारित करता है:

i) जितना जल्दी हो सके विद्यमान आर्थिक सहायता को हटाना।

ii) यथाशीघ्र चरणबद्ध ढंग में शुरूआत के लिए टेरिफ एवं शुल्कों के उपयुक्त स्तर निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों का दल गठित करना।

iii) दूरदराज के क्षेत्रों को आपूर्ति करने पर मालभाड़ा आर्थिक सहायता का तथा उत्पादों पर आर्थिक सहायता को राजकोषीय बजट में स्थानान्तरण करना। विपणन के विनियंत्रण के पश्चात पहाड़ी एवं दूरदराज के क्षेत्रों के लिए आपूर्ति लाईन के अनुरक्षण हेतु छूट के लिए आवश्यकता है।

हाईड्रोकार्बन परिदृश्य – 2025

- यथाशीघ्र वर्तमान आर्थिक सहायताओं को चरणबद्ध करना।
- टेरिफ तथा शुल्क का उपयुक्त स्तर निर्धारित करना
- आर्थिक सहायताअें को राजकोषीय बजट में हस्तांतरित करना

1.5 विनियमित उत्पादों की मूल्य वृद्धि

मार्च 2012 जनवरी 2013 में नई दिल्ली में एमएस, एचएसडी, घरेलू एलपीजी तथा पीडीएस केरोसीन के लिए मूल्य वृद्धि की संरचना नीचे चार्ट 11 से 14 में दी गई है:

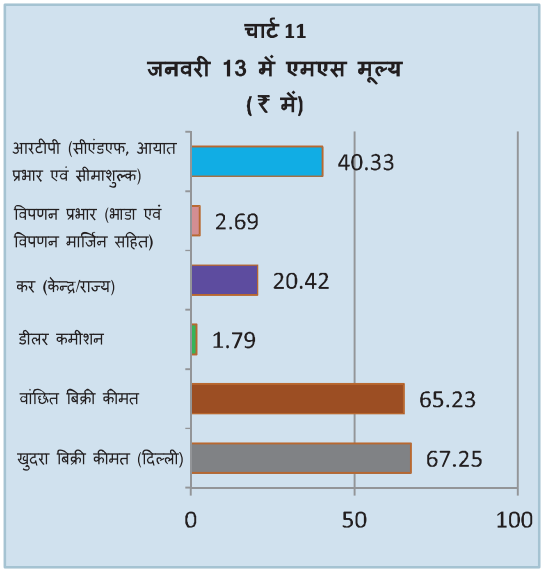

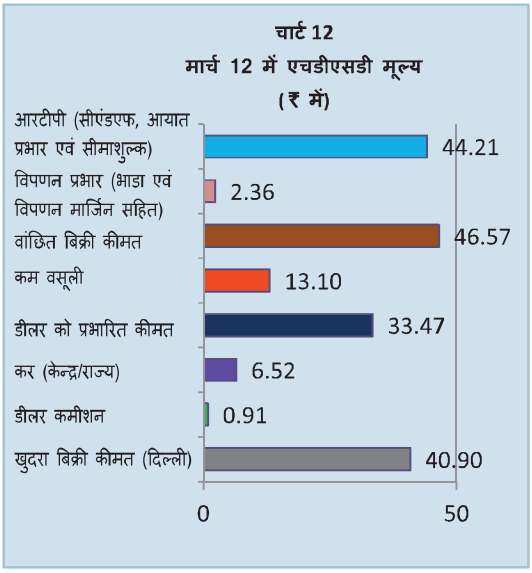

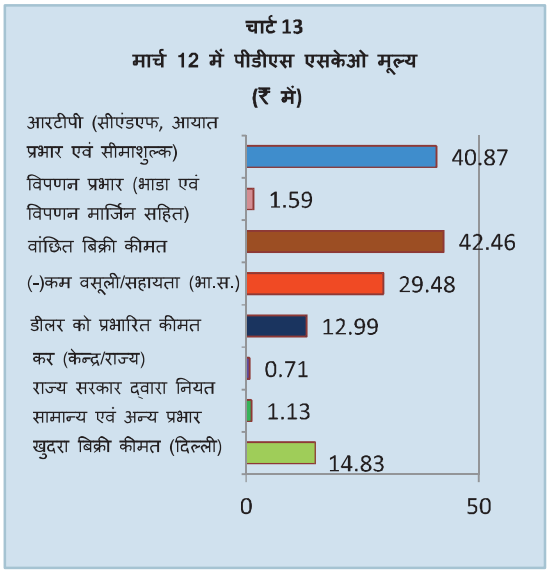

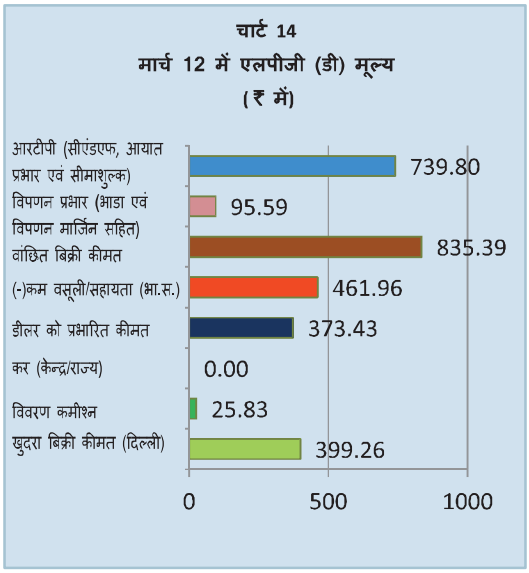

1.6 ओएमसीज को कम वसूलियों की क्षतिपूर्ति

2002 में प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) के विखंडन के साथ, एमएस तथा एचएसडी के मूल्यों को विनियंत्रित किया गया था। तथापि, पीडीएस केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी के मूल्यों को उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ा/संरेखित नहीं किया जा सका था, जिसके परिणामस्वरूप ओएमसीज को कम वसूली हुई। अन्तिम उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता प्राप्त दर (वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं) पर पीएसडी केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी के वितरण के लिए, भारत सरकार ने निर्णय किया (अक्टूबर 2003) कि

ओएमसी एमएस तथा एचएसडी पर सृर्जित अधिशेषों से इन दो उत्पादों पर वहन की गई हानियों के लगभग एक तिहाई को अवशोषित करेगा जबकि शेष हानियां एक तरफ अपस्ट्रीम कम्पनियों यथा ओएनजीसी, ओआईएल तथा गेल तथा दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा समान रूप से साझा की जाएँगी। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल तथा उत्पादों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण एमएस तथा एचएसडी के मूल्यों को पुन: 2004 में विनियम (नियंत्रण) के तहत लाया गया था तथा इन उत्पादों की कम-वसूली की भी अक्टूबर 2003 मे निर्णीत ढ़ंग से प्रतिपूर्ति की गई थी।

किरिट पारेख समिति (फरवरी 2010) की सिफारिशों के आधार पर, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल था, 'पैट्रोल के अन्तिम खपत का उत्पाद होने के नाते, पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि मोटरयुक्त वाहन स्वामियों द्वारा वहन की जा सकती है', भारत सरकार ने जून 2010 में एमएस को पूर्णत: विनियंत्रित कर दिया। अत: भारत सरकार द्वारा भार सहभाजन तंत्र इन तीन उत्पादों नामत: - एचएसडी, पीडीएस केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी पर जारी है।

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने एमओपीएनजी के परामर्श से कम-वसूली पर क्षतिपूर्ति की राशि को एक वर्ष में दुगुना से तीन गुणा करके तथा प्रणाली का अनुमोदन किया। क्षतिपूर्ति की मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, देश में संवेदनशील पैट्रोलियम उत्पादों (एमएस-जून 2010 तक, एचएसडी, पीडीएस केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी) की मांग तथा खपत, कच्चे तेल पर छूट के रूप में हानियों के एक हिस्से को अवशोषित करने की अपस्ट्रीम कम्पनियों तथा ओएमसीज़ की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण (एमओएफ द्वारा) करने के पश्चात निर्धारित किया जाता है, ताकि ओएमसीज़ अपने त्रैमासिक परिणाम घोषित करने में सक्षम हो सकें।